विधानसभा/महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 54 /संचा.–वि.स./2025 नवा रायपुर, दिनांक 01 /07/2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 971 तारांकित द्वारा श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

——00——

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 971 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर **'यूनिकोड फॉन्ट'** में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 03.07.2025 तक** ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 557/संचा.–वि.स./2025 नवा रायपुर, दिनांक 01 /07/2025

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **11/07/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/07/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **971**) **श्रीद्वारिकाधीश यादव**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) राज्य में 01 जनवरी, 2025 से 30 जून, 2025 तक बी.पी.एल., ए.पी.एल. एवं अन्य सभी प्रकार के राशन कार्डधारियों हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 24 जून, 2025 की स्थिति में लक्ष्यानुरूप जिलावार कितना वितरण किया गया है? बतायें ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रदेश के कुछ जिलों में निर्धारित समयावधि में खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया है? यदि हाँ, तो उसके प्रमुख कारण क्या-हैं? क्या शेष बचे हुए वितरण को 24 जून, 2025 से 30 जून, 2025 के मध्य पूरा कर लिया जाएगा? यदि नहीं, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्तावित है? (ग) प्रदेश के दुर्गम एवं पहुंचविहीन ग्रामों में वर्षा ऋतु के दौरान खाद्यान्न पहुंचाने के लिए शासन द्वारा क्या विशेष व्यवस्था की गई है? साथ ही, दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 24 जून, 2025 तक खाद्यान्न वितरण से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्रवाई जिलावार बतायें ?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 01/07/2025 11:26:02 |

Remark :

समस्त कले.
काल सेन्टर शिकायत